संचिका सं0-10/गै०यो0-02-03/2014.......18..........(10) स्वा

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 15/12/2017

विषयः- **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भवनों के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire alarm, Bed lift, Solar Water Heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture तथा पूरे परिसर में मिट्टी भराई कार्य हेतु कुल रुपये 12,38,51,000/-(बारह करोड़ अड़तीस लाख एकावन हजार रुपये) रुपये मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-1130(10), दिनांक-06.12.2017 के आलोक में बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भवनों के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire alarm, Bed lift, Solar Water Heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture तथा पूरे परिसर में मिट्टी भराई कार्य हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से कुल रुपये 12,38,51,000/- (बारह करोड़ अड़तीस लाख एकावन हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति दी जाती है ।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः-

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/ एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस राशि का वहन राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष- 051- निर्माण, उप शीर्ष-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210010510104, विषय शीर्ष- (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

(5) यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2), दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2), दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(6) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/12/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 18 (10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/12/2017

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, विस्कोमान भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10/अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

14/12/17

सरकार के विशेष सचिव ।